

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बी.पी)/2015/डी-825

दिनांक-07/4/2015

श्री श्रीनिवास खेतावत,
निदेशक,
मनोहर बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि.,
सी-72, सरोजनी मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।

विषय :- भूखण्ड संख्या बी-2 से बी-5 तक, श्रीराम विहार 'बी', मालवीय नगर, जयपुर के प्रस्तावित
आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2014 के सदर में जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या बी-2 से बी-5 तक, श्रीराम विहार 'बी', मालवीय नगर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (1046.05 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 29.95 मीटर ऊँचाई के (बेसमेंट + स्टिफ्ट + 9 तल) के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेंट के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 26.03.2014 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक AAI/NOC/2014/208/6340-44 दिनांक 02.07.2014 के अनुसार) दिनांक 01.07.2019 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।

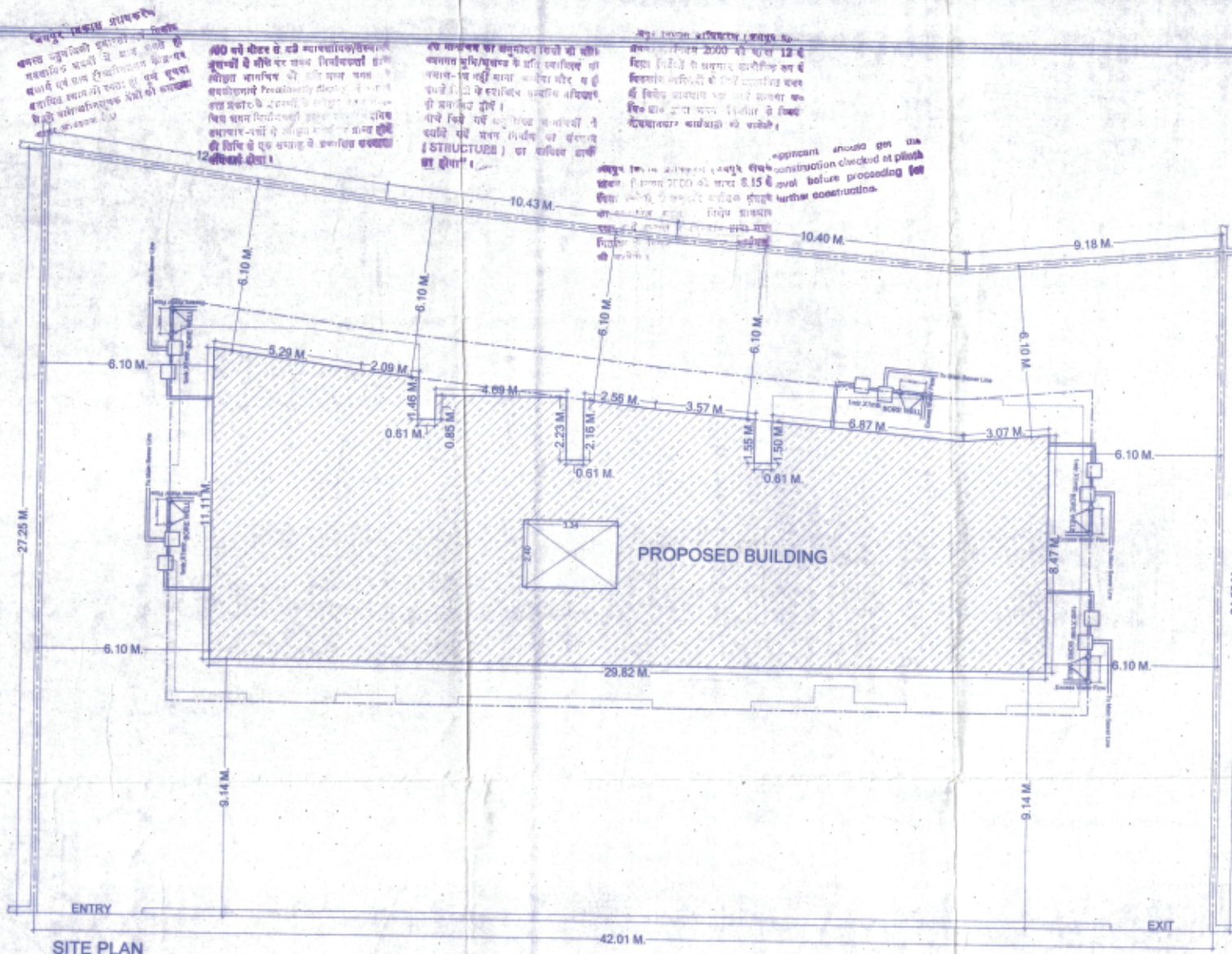
13. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
14. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
15. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
16. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखे जावे तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
18. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
19. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-04, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन-04, जयपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपायुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. अधिशाषी अभियन्ता, बीपीसी-द्वितीय, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर।

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



ROAD 80'-0" WIDE

AREA CALCULATION (Sq.Mt.)

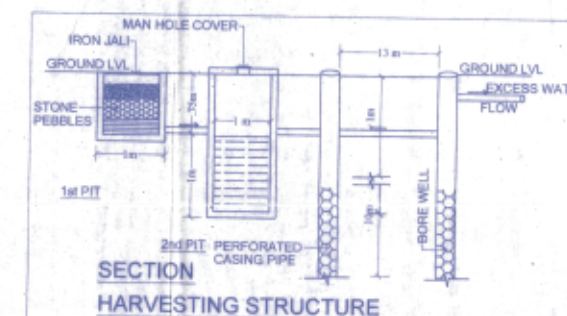
S.No.	FLOOR	BUILTUP (Sq.Mt.)	F.A.R.(Sq.Mt.) WITHOUT ANY DEDUCTION AREA	Gross B.U.A.	CIRCULATION	STORE	SERVICES
01.	BASEMENT	276.04 Sq.Mt.	248.18 Sq.Mt.	276.04 Sq.Mt.	21.41 Sq.Mt.	-	78.05 Sq.Mt.
02.	STILT	276.04 Sq.Mt.	19.55 Sq.Mt.	276.04 Sq.Mt.	8.05 Sq.Mt.	-	-
03.	FIRST	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
04.	SECOND	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
05.	THIRD	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
06.	FOURTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
07.	FIFTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
08.	SIXTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
09.	SEVENTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
10.	EIGHTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
11.	NINTH	329.25 Sq.Mt.	307.77 Sq.Mt.	357.22 Sq.Mt.	20.00 Sq.Mt.	6.79 Sq.Mt.	18.74 Sq.Mt.
12.	TERRECE	47.65 Sq.Mt.	-	47.65 Sq.Mt.	-	-	-
TOTAL		3562.98 Sq.Mt.	3037.66 Sq.Mt.	3814.71 Sq.Mt.	209.46 Sq.Mt.	61.11 Sq.Mt.	246.71 Sq.Mt.

TOTAL PLOT AREA CALCULATION

- 01:- TOTAL PLOT AREA = 1046.05 Sq.Mt. (1250.62 Sq.Yds.)
 - 02:- PERMISSIBLE F.A.R. = (Plot Area X 2.75)
= 1046.05 X 2.75 = 2876.63 Sq.Mt.
 - 03:- Consumed F.A.R. Without Any Deduction = 3037.66 Sq.Mt.
 - 04:- Permissible 15% Circulation Area Free From F.A.R. = 431.49 Sq.Mt.
 - 05:- Consumed Circulation Area = 209.46 Sq.Mt.
 - 06:- Permissible 3% Store Area Free From F.A.R. = 86.29 Sq.Mt.
 - 07:- Consumed Store Area = 61.11 Sq.Mt.
 - 08:- Permissible 7% Services Area Free From F.A.R. = 201.36 Sq.Mt.
 - 09:- Consumed Services Area = 246.71 Sq.Mt.
 - 10:- Permissible 5% Club Area Free From F.A.R. = 143.83 Sq.Mt.
 - 11:- Consumed Club Area = 142.76 Sq.Mt.
 - 12:- NET CONSUMED F.A.R. = 3 - (5 + 7 + 9 + 11)
= 3037.66 - (209.46 + 61.11 + 201.36 + 142.76)
= 2422.97 Sq.Mt.
 - 13:- PENDING F.A.R. = 2 - 12
= 2876.63 - 2422.97 = 453.66 Sq.Mt.
 - 14:- CONSUMED F.A.R. = 2422.97 / 1046.05 = 2.316
 - 15:- PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 35%
 - 16:- ACHIEVED GROUND COVERAGE :-
= $\frac{\text{B.U.A. OF STILT FLOOR}}{\text{PLOT AREA}} \times 100$
= $\frac{276.04}{1046.05} \times 100 = 26.38\%$
 - 17:- PERMISSIBLE HEIGHT = 30.00 Mt.
 - 18:- ACHIEVED HEIGHT = 29.95 Mt.
- ### PARKING CALCULATION
- 19:- TOTAL PARKING REQUIRED OF CONSUMED F.A.R. :-
= $\frac{\text{CONSUMED F.A.R.}}{75} = \frac{2422.97}{75} = 32.30 \text{ E.C.U.}$
 - 20:- ADD 25% VISITORS PARKING :- 32.30 + (32.30/4)
= 40.37 E.C.U. OR SAY 40.00 E.C.U.

TOTAL PARKING PROVIDED

FLOOR	SURFACE PARKING	SCOOTER PARKING	TOTAL E.C.U.
STILT	15.00 E.C.U.	-	15.00 E.C.U.
Open Ground	15.00 E.C.U.	30.00 Scooter	25.00 E.C.U.
TOTAL	30.00 E.C.U.	30.00 Scooter	40.00 E.C.U.



SHEET NO. - 01

SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

TITLE:
SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

SCALE: 1" = 100'

DATE: 20-01-2013

DRAWN: L.C. SHARMA

CHECKED: KULSHRA

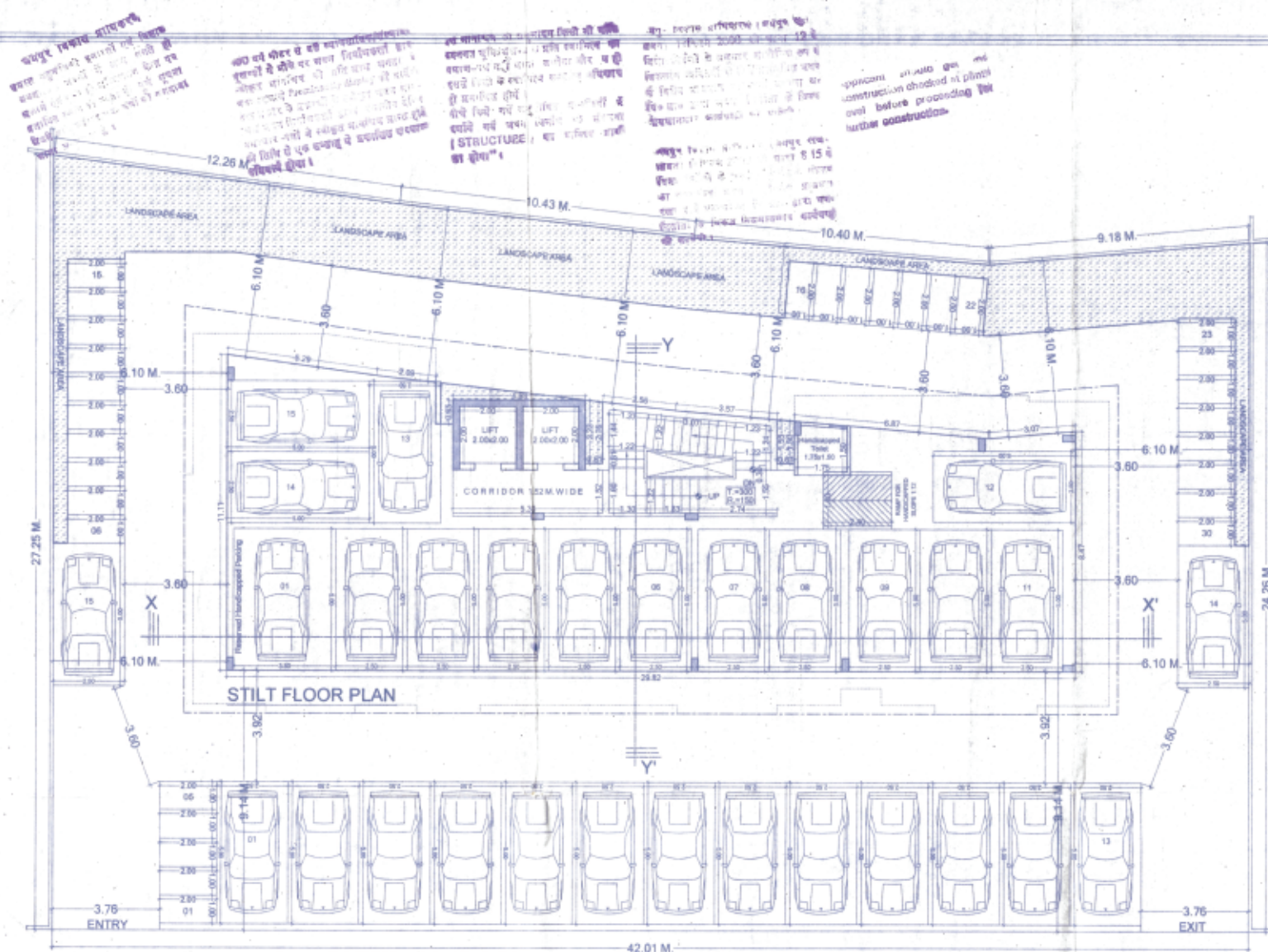
PROJECT:

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT No. B-2, B-3, B-4 & B-5 AT
SCHEME SHRI RAM VIHAR-IV (INDRA
VIKAS) 6 N.S.S. AT JAIPUR

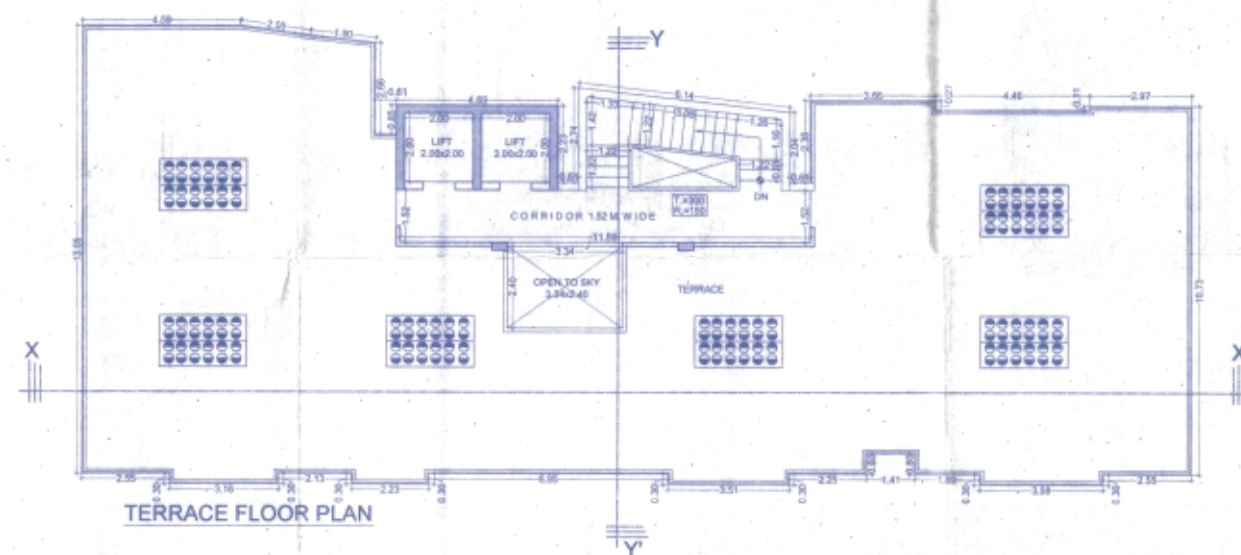
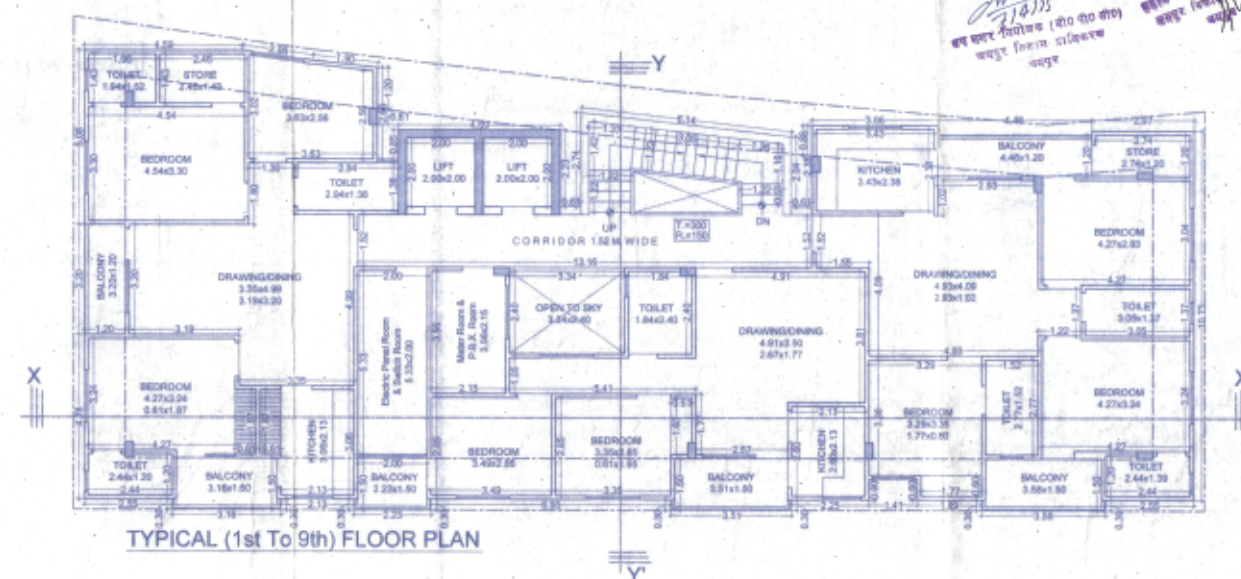
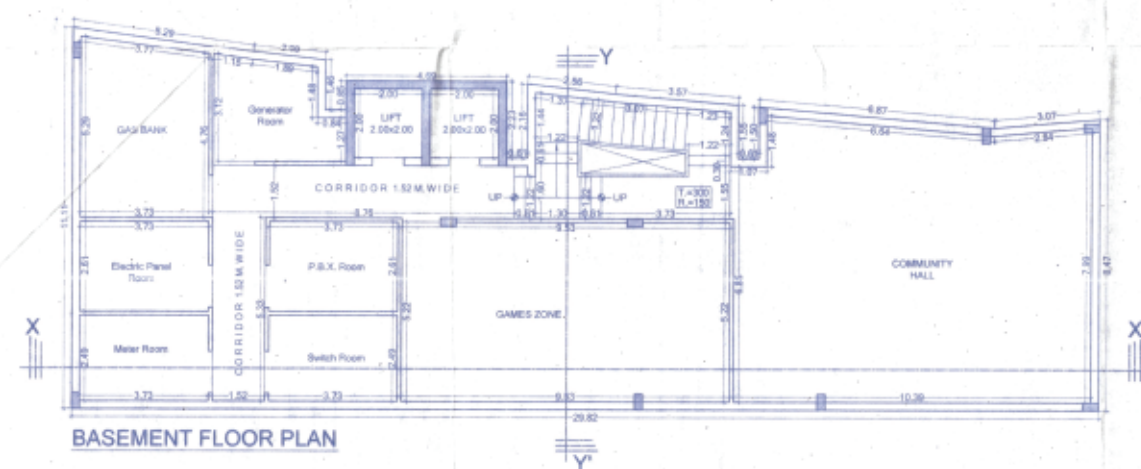
ARCHITECTS:
ENAMOUR ARCHITECTS
Architects, Interior Designers
B-2/1018, Chakraborty Scheme, Ajmer Road, Jaipur.
TEL: +91-141-4000393
email: enamourarchitects@gmail.com

For MANCHER BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.

AMIT KOTHARI
ARCHITECT
CAZ005/37225



ROAD 80'-0" WIDE



SHEET NO. - 02	
TITLE>	SUBMISSION DRAWING ALL FLOOR PLAN

TITLE: SUBMISSION DRAWING
ALL FLOOR PLAN

SCALE :- 1 = 100	NORTH- 
DATE :- 30-01-2013	
DRAFT :- L.C. SHARMA	
CHECKED :- KHUSHAL	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT No. B-2, B-3, B-4 & B-5 AT
SCHEME SHRI RAM VIHAR-'B' (INDRA
VIKAS) # N.S.S. AT JAIPUR

ARCHITECTS:-
ENAMOUR ARCHITECTS
Architects , Interior Designers
B-2/518, Chitrakoot Scheme, Ajmer Road, Jaipur.
TEL -91-141-4603383
email - enamourarchitects@gmail.com

WIND DEVELOPERS PVT. LTD.
Director
AMIT KOTHIWALA
ARCHITECT
CA/2005/37

For BANGKOK BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
Shri Nitin Kothia
Director
AMIT KOTHIA
ARCHITECT
CA/2005/37

For HAWKHAR BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.
AMIT KOTHIAWAI
ARCA/11/L
CA/2005/37225
Director

मानव संसाधन विकास (वि.वि.) की 155
 दिनांक 26/12/2014 के दिने की निर्णय
 की अनुसूची में मानव संसाधन विकास
 विभाग, वि.वि. (वि.वि.) की 885-निर्णय
 2014/3015 के मानव संसाधन विकास विभाग
 अनुसूची

[illegible][illegible]

applicant should get the
construction checked at plumb
level before proceeding to
further construction.

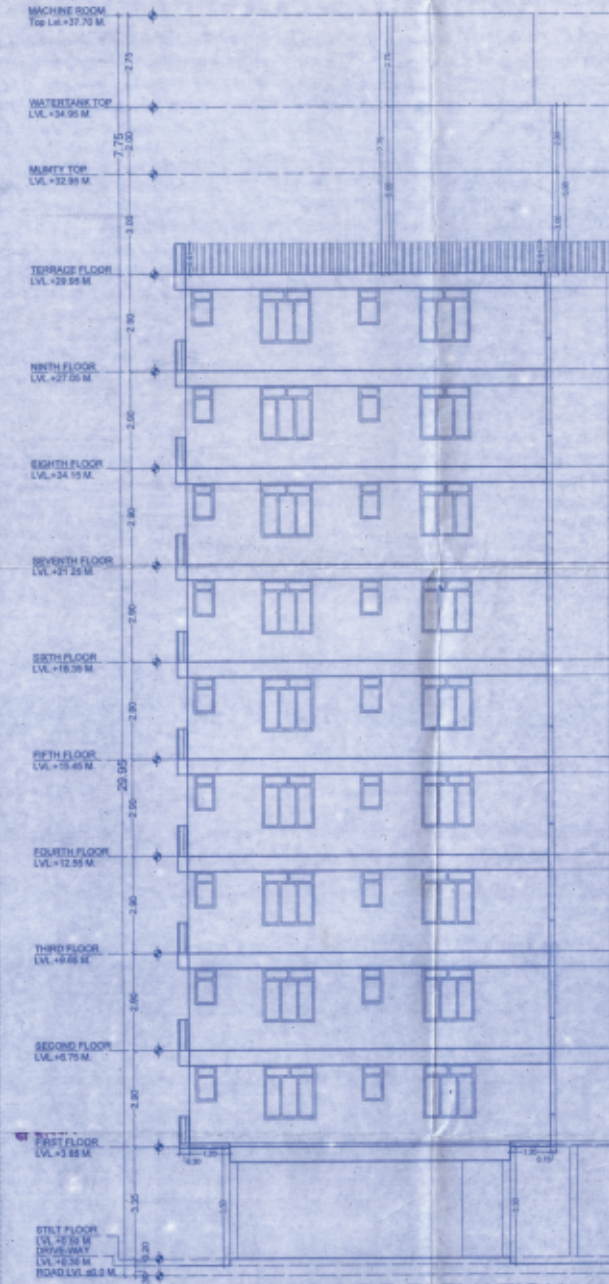

 2/4/15
 अथ सत्य निर्माण, बा. वा. वा.
 अथ सत्य निर्माण, बा. वा. वा.
 अथ सत्य निर्माण, बा. वा. वा.

SHEET NO. - 0

SUBMISSION DRAWING
ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION



RIGHT SIDE ELEVATION

TYPE _____ SUBMISSION DRAWING _____
ELEVATIONS _____

SCALE - 1:4 500	NOTES: N
DATE - 30-01-2013	
DEALT - L.C. SWAPPA	
CHECKED - KUNJHAL	
PROJECT.	

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT PLOT No. B-2, B-3, B-4 & B-5 AT
SCHEME SHRI RAM VIHAR 'B' (INDRA
VIKAS) G.N.S.S. AT JAIPUR

ENAMOUR ARCHITECTS
Architects, Interior Designers
B-2/518, Chaitanya Scheme, Agart Road, Jaipur
Toll: +91-141-4502383
email: enamourarchitects@gmail.com

For MANOJ HAR BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LT.

AMIT KOTHIWALA
ARDC
CA/26/08/2022

